

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित)से दुर्घटना में मृत 06 श्रमिक के आश्रित को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 600000/- (छः लाख रूपए) एवं 04 स्वाभाविक मृत्यु के मामले में ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 120000/- (एक लाख बीस हजार रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 720000/- (सात लाख बीस हजार रूपए) मात्र मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम( संबंध )	जिला पदाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का धारा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० मंगल मांझी, 54, अनु० जाति	श्री राकेश कुमार मांझी(पुत्र)	611/05.12.19	ग्रा०-एकडना, पो०-भगवानपुर, था०-मीरगंज, प्र०-हथुआ, गोपालगंज	31432083 599	भारतीय स्टेट बैंक, SBIN0002945	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि एवं पशुपालक
2	स्व० सुरेन्द्र ठाकुर, 38, पि० वर्ग	श्रीमती इन्दु देवी(पत्नी)	610/05.12.19	ग्रा०-रतनचक, पो+था०+ प्र०-हथुआ, गोपालगंज	46921011 0013859	बैंक ऑफ इंडिया, BKID0004692	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, नई का कार्य
3	स्व० मुन्द्रिका भगत, 52, पि० वर्ग	श्रीमती सोनामती देवी(पत्नी)	575/29.11.19	ग्रा०-रामपुरमाधो, पो०-मनियारा, प्र०-कुचायकोट, गोपालगंज	10111040 00173315	आईडीबीआई बैंक, IBKL0001011	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, राजमिस्त्री
4	स्व० कपिल सहनी, 58, अ० पि० वर्ग	श्रीमती कौशल्या देवी(पत्नी)	576/29.11.19	ग्रा०-मधुसरेया, पो०-कोल्हुआ, प्र०-मांझा, गोपालगंज	37233363 58	सेन्दल बैंक, CBIN0281708	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, पशुपालन का कार्य
5	स्व० राकेश कुमार राम उर्फ राकेश कुमार, 19, अनु० जाति	श्री नन्दलाल राम(पिता)	577/29.11.19	ग्रा०+पो०-कररिया, प्र०+जि०-गोपालगंज	50100020 612369	HDFC BANK, HDFC0002773	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, राजमिस्त्री का हेलपर
6	स्व० परमा प्रसाद, 63, पि० वर्ग	श्रीमती रामावती देवी(पत्नी)	578/29.11.19	ग्रा०-आलापुर रेडवरीया टोला, पो०+प्र०-मांझा, गोपालगंज	37086829 09	सेन्दल बैंक, CBIN0281708	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, राजमिस्त्री का हेलपर
7	स्व० शमसाद अहमद, 47, सामान्य	श्रीमती चाँदतारा(पत्नी)	591/03.12.19	ग्रा०-तिरविवा, पो०-भितभेरवा, था०+ प्र०+जि०-गोपालगंज	23101013 24104	केनरा बैंक, CNRB0002310	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, राजमिस्त्री
8	स्व० ददन कुंवर, 54, सामान्य	श्रीमती सुनीता देवी(पत्नी)	593/03.12.19	ग्रा०-रतनचक, पो+था०+ प्र०-हथुआ, गोपालगंज	46921011 0006298	बैंक ऑफ इंडिया, BKID0004692	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री का हेलपर
9	स्व० जयद्रथ दूवे, 45, सामान्य	श्रीमती मिन्दु देवी(पत्नी)	595/03.12.19	ग्रा०+पो०-सवरेजी, प्र०-हथुआ, गोपालगंज	37345829 36	सेन्दल बैंक, CBIN0280037	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, बिजलीमिस्त्री
10	स्व० रामकान्त कुंवर, 53, सामान्य	श्रीमती माधुरी देवी(पत्नी)	597/03.12.19	ग्रा०-रतनचक, पो+था०+ प्र०-हथुआ, गोपालगंज	31546397 482	भारतीय स्टेट बैंक, SBIN0009212	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री का हेलपर

कुल :- ₹ 720000/-

(सात लाख बीस हजार रूपए)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव में सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० स०-59/2019 के पृष्ठ-07/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(धर्मेन्द्र सिंह)  
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-59/2019

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-


(धर्मेन्द्र सिंह)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-59/2019-42

पटना, दिनांक :-11-2-2020

प्रतिलिपि :- लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 720000/- (सात लाख बीस हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/जिला पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ प्रेषित/आईटी0-मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।



(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी



(धर्मेन्द्र सिंह)

कार्यकारी निदेशक।